# निवेश संग रोजगार दिलाने के लिए दो स्तर पर होगी निगरानी

अमर उजाला ब्यूरो

## वादे से ज्यादा रोजगार सृजन करने पर मिलेगी अधिक सब्सिडी

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए निवेश करार को धरातल पर उतारने से होने वाले प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की दो स्तरों पर निगरानी होगी। औद्योगिक विकास विभाग ने निवेश कराने के साथ युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी योजना बनाई है। निवेशकों को ईपीएफ की सब्सिडी के भुगतान और ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए निवेश से रोजगार सृजन की निगरानी करेगी।

निवेशक सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ के निवेश करार हुए हैं। निवेशकों ने इसमें 94 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किया है। अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित पहले भूमि पूजन में करीब 6 लाख करोड़ के करार को धरातल पर उतारने की योजना है। इनसे 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन होगा। प्रत्येक विभाग की निवेश नीति के तहत निवेशकों से निवेश राशि के साथ उससे संभावित प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार की संख्या भी ली गई है। मेगा यूनिट को न्यूनतम 300, सुपर मेगा यूनिट को 600 और अल्ट्रा मेगा यूनिट को 1500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। निवेशक की ओर से प्लांट स्थापित करने के बाद उसमें मिलने वाले रोजगार की निगरानी की जाएगी।

निवेश नीति के तहत निवेशकों को उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार की ओर से अंशदान देने की भी योजना है। इसके जरिए भी निगरानी होगी कि कंपनी ने कितना रोजगार दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए भी निवेशक की ओर से सृजित रोजगार की निगरानी होगी।औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया कि न्यूनतम रोजगार का सृजन करने और उसमें 75 फीसदी महिलाओं को रोजगार देने पर कुल निवेश लागत पर दो प्रतिशत रोजगार बूस्टर सब्सिडी दी जाएगी। न्यूनतम रोजगार से दोगुना लोगों को रोजगार देने पर तीन फीसदी और तीन गुना रोजगार सृजन करने पर चार फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।